रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2018/ ज्येष्ठ 2 , 1940
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2018/JYAISTHA 2, 1940

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2018

सं. राबैं. सचिव/C-4/2018-19.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61वा अधिनियम) की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक मण्डल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. (1) ये विनिमय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2018 कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 के विनियम 3 के वाक्यांश (vii) के बाद निम्नलिखित वाक्यांश शामिल किए जाएंगे, नामत: :—

"(viii) इन विनियमों के तहत बैठको में निदेशक की सहभागिता या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनो के माध्यम से होगी ।

(ix) निदेशकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनो के माध्यम से सहभागिता को कोरम के उद्देश्य से हिसाब में लिया जाएगा ।

टी. एस. राजी गैन, मुख्य महाप्रबन्धक एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./69/18]

नोट : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में तारीख 10 अगस्त, 1982 को का.आ. 723(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में तारीख 08 नवम्बर, 2008 को का.आ. द्वारा संशोधित किया गया.

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th April, 2018

No. NB.Secy/C-4/2018-19.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Board of Directors of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development General Regulations, 1982, namely:–

1. (1) These regulations may be called the National Bank for Agriculture and Rural Development General (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Bank for Agriculture and Rural Development General Regulations, 1982, in regulation 3, after clause (vii), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(viii) Participation of the directors in meetings under these regulations may be either in person or through video conferencing or through other audio-visual means.

(ix) Any participation of the directors through video conferencing or other audio-visual means shall be counted for the purpose of quorum."

T. S. RAJI GAIN, Chief General Manager and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./69/18]

Note : The principal regulations were published in Gazette of India, *vide* notification number S.O. 723(E), dated the 10th August, 1982 and subsequently amended *vide* notification number SO. dated 08th November, 2008.

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2018

सं. रा.बैं. सचिव/C-4/2018-19.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61वा अधिनियम) की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक मण्डल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. (1) ये विनिमय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2018 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 में विनियम 4, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा नामत: :—

4(1) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक आवश्यकतानुसार मुंबई में ऐसी तारीख और ऐसे समय पर कार्यकारी समिति की बैठक बुला सकता है, जैसा कि वह निर्धारित करे और कार्यकारी समिति के सदस्यों को नोटिस दी जाएगी जो स्पष्टतः दस दिन से कम की नहीं होगी।

परंतु यदि अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक ऐसा करना आवश्यक समझता है तो कार्यकारी समिति की बैठक भारत में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जा सकती है।

परंतु इसके साथ ही यह कि एक कलेंडर वर्ष में कम से कम चार बैठके होंगी।

टी. एस. राजी गैन, मुख्य महाप्रबन्धक एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./69/18]

नोट : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में तारीख 23 फ़रवरी, 1985 को का.आ. 740, तारीख 06 फ़रवरी, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए, और बाद में तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को का.आ. 2016 द्वारा संशोधित किया गया.

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th April, 2018

No. NB.Secy/C-4/2018-19.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Board of Directors of the National Bank for Agriculture and Rural Development, with the previous approval of the Central Government and in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following regulations further to amend the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, namely:–

1. (1) These regulations may be called the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, in regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) The Chairman or in his absence, the Managing Director may call a meeting of the Executive Committee at Mumbai on such date and at such time as he may specify after giving a notice of not less than ten clear days :

Provided that if the Chairman or in his absence, the Managing Director considers it necessary so to do, he may call a meeting of the Executive Committee at any other place in India:

Provided further that there shall be at least four meetings during a calendar year."

T. S. RAJI GAIN, Chief General Manager and Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./69/18]

Note : The principal regulations were published in Gazette of India, dated 23rd February 1985 *vide* notification number S.O. 740, dated the 06th February, 1985 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2016, dated 15th October, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.31 15:02:43 +05'30'